न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 509/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती सुगना पुत्री भीयाराम पत्नी किशोर 2– श्रीमती सायरी पुत्री भीयाराम के कायम मुकाम– 2.1–दिनेश पुत्री मुन्नीलाल 2.2–श्रवण पुत्र मन्नीलाल 2.3–मंजु पुत्री मुन्नीलाल 3– श्रीमती शारदा पुत्री भीयाराम पत्नी उगमाराम जातियान बेलदार निवासीगण बोरून्दा तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर 4– श्रीमती मिसिया पुत्री भीयाराम पत्नी ओमजी जाति बेलदार निवास सारण नगर, जोधपुर 5– श्रीमती रामूदेवी पुत्री भीयाराम पत्नी किशनलाल जाति बेलदार निवासी पहाडगंज अजमेर 6– श्रीमती कलिया पुत्री भीयाराम पत्नी कांतिलाल जाति बेलदार टेकर रेल्वे स्टेशन के पास, पालनपुर गुजरात 7– श्रीमती छोटी पुत्री भीयाराम पत्नी जितेन्द्र जाति बेलदार निवासी कच्ची बस्ती, पुलिस चौकी के सामने पाल रोड, जोधपुर		1– हडमानराम पुत्र छोटूराम 2– चुकी देवी पत्नी छोटूराम 3– मैना पुत्री छोटूराम 4– दुर्गा पुत्री छोटूराम 5– संतोष पुत्री छोटूराम 6– बेबी पुत्री छोटूराम 7– हवली पुत्री छोटूराम सभी जातियान माली निवासीगण ग्राम बिराई तहसील बावडी जिला जोधपुर 8– मुकेश पुत्री गुलाबराम 9– श्रीमती सरस्वती पत्नी गुलाबराम दोनो जाति बेलदार निवासीगण बिराई तहसील बावडी जिला जोधपुर 10–सरपंच ग्राम पंचायत बिराई शहर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15–6–2017 जो राजस्व अपील संख्या 98/2014 अनवान श्रीमती सुगना वगैरा बनाम हनुमान राम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 से 9 की ओर से।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–5–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिराई तहसील ओसियां के खेत खसरा नंबर 645/121 की 15 बीघा भूमि भीयाराम पुत्र भूराराम जाति बेलदार सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार भीयाराम के फौत होने पर उक्त भूमि का फोतेदगी का म्युटेशन संख्य 1009 उसके दो पुत्रो देवाराम, गुलाबाराम पि0 भीयाराम कौम बेलदार के पक्ष मे सरपंच ग्राम पंचायत बिराई द्वारा दिनांक 5–12–82 को स्वीकृत किया । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण ने प्रथम

अपील यह कथन करते हुए पेश की कि वे भी मृतक खातेदार भीयाराम की जायंदा पुत्रियां है तथा वे भी मृतक की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से उनका भी नाम अपीलाधीन म्युटेशन मे दर्ज किये बिना तथा उनको सुने बिना पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 मे रखते हुए बिना पक्षकारो को सूचित किये ही तथा उन्हे सुने बिना ही प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर दिनांक 15–6–2017 को खारीज कर दी जाने पर उक्त द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 1009 मे वर्णित ग्राम बिराई के खसरा नंबर 645/12 रकबा 15 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता भीयाराम की थी तथा उक्त खातेदार भीयाराम के फोत होने पर मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना सम्पूर्ण भूमि भीयाराम के वारिसान मे देवाराम एवं गुलाबराम पि0 भीयाराम के नाम दर्ज करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1009 विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत कर दिया जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तथा शेष प्रत्यर्थीगण के सम्मन तामिली के इंतजार मे चल रहे थे इस दौरान राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वारा अभियान –2017 का आयोजन हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय मे जो पत्रावली तामिल मे चल रही थी उसे केम्प मे ले जाकर अपील को मयाद बाहर होना मानकर खारीज कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने कथन किया कि पत्रावली को केम्प मे रखने बाबत पक्षकारो को सूचना या नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलंब से अपील पेश करने पर अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र पेश किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथनो का कोई जवाब या खण्डन रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा नही किया जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही माना जा सकता है जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि लोक अदालत मे केवल सहमति एवं राजीनामे के प्रकरणो का ही निस्तारण किया जा सकता है जबकि वर्तमान प्रकरण मे कोई राजीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ और न ही राजीनामे हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित ही हुए परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से तथा पक्षकारो को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट संख्या 2 श्रीमती सायरी का देहांत माह मार्च 17 मे हो गया था जिसके वारिसान को रेकर्ड पर लाये बिना तथा उनको पक्षकार बनाये बिना तथा उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो नेचुरल जस्टिस के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–6–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 8 व 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांटगण की अपील का समर्थन करते हुए कथन किया कि वे मृतक खातेदार भीयाराम के विधिक वारिसान है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन मे उनका भी नाम दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु नही किया जाने पर अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जो नियमित कोर्ट मे विचाराधीन एवं लंबित थी जिसे बिना पक्षकारो को सूचना या नोटिस दिये लोक अदालत केम्प मे ले जाकर केवल मयाद के बिन्दु पर अपीलांटगण की अपील को खारीज कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिन्रांक 15–6–2017 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्ण्य का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर प्रकट है कि पत्रावली दिनांक 27–6–14 को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यथीगण के सम्मन जारी किये जिस पर दिनांक 14–11–14 की आदेशिका मे रेस्पो0 संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा शेष के सम्मन इंतजार मे पत्रावली तारीख पेशी 29–4–16 तक चलती रही । उसके पश्चात की सीलनुमा आदेशिकां दिनांक 1–5–17 तक वलती रही तथा पक्षकारो को लोक अदालत केम्प बिराई के नोटिस या सूचना जारी किये या तामिल कराये ही पत्रावली को दिनांक 15–6–17 को राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार केम्प बिराई म रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को बिना पक्षकारो को सुने ही मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दे दी थी तथा उनके द्वारा अपील के विलंब से प्रस्तुत होने के संदर्भ मे अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को जवाब या खण्डन भी नही करने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारो को सुने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांटगण की अपील पर गुणावगुण पर विचार किये बिना ही मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–6–2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर विचार करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

|